संख्या-220/2023/3361/22-2-2022-17(472)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुल्लन उर्फ कुन्दन पुत्र श्री देवीराम, निवासी जनपद फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30519/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-29.08.2022) दिनांक-27.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुल्लन उर्फ कुन्दन पुत्र श्री देवीराम, मोहल्ला-कैलाश नगर, थाना-उत्तर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 16.10.2006 को वादी अपने भाई अजय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था रास्ते में बन्दी ने अन्य 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरीश आदि के मुकदमें में गवाही देने से रोकने के उद्देश से तमंचे से गोली मारकर अजय की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/2007 भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,323/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 19-06-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-10-2021 तक 15 वर्ष 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 16.10.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरीश के मुकदमें में गवाही देने से रोकने के उद्देश से तमंचे से गोली मारकर अजय नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुल्लन उर्फ कुन्दन पुत्र श्री देवीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुल्लन उर्फ कुन्दन (बन्दी संख्या-16075) पुत्र निवासी जनपद फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म/ए-लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-220/2023/3361(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-220/2023/3361/22-2-2022-17(472)/2021

दिनांक 15 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुल्लन उर्फ कुन्दन पुत्र श्री देवीराम, मोहल्ला-कैलाश नगर, थाना-उत्तर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 16.10.2006 को वादी अपने भाई अजय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था रास्ते में बन्दी ने अन्य 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरीश आदि के मुकदमें में गवाही देने से रोकने के उद्देश से तमंचे से गोली मारकर अजय की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/2007 भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 19-06-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-10-2021 तक 15 वर्ष 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 16.10.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरीश के मुकदमें में गवाही देने से रोकने के उद्देश से तमंचे से गोली मारकर अजय नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुल्लन उर्फ कुन्दन पुत्र श्री देवीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।